

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/193

दायर दिनांक 30/10/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उगवान- रामगोपाल पिता कवरलाल ब्राह्मण नि० कडोदिया तहसील रायपुर
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड राज०

आदेश

दिनांक 30/10/2023

उक्त उगवानी प्रकरण में ग्राम कडोदिया पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर जिला झालावाड के तरमीम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दरतावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुमति के आधार पर के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम कडोदिया पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर की आराजी नूनि खसरा नम्बर 927, 1938/927 एवं 2161/927 की वर्तमान में दर्ज तरमीम को तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम कडोदिया पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर	927, 1938/927 एवं 2161/927	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार

संलग्न:- नजरी नक्शा किता-2

क्रमांक:- राजस्व/2023/193

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार रायपुर को आदेश प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज०)
दिनांक 30-10-2023

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज०)

